



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102023-249561
CG-DL-E-19102023-249561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945

No. 604]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

सं. 60/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 758(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1), और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, प्रविष्टि 551 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“551क	8901	विदेश जाने वाले जहाज को तटीय यात्रा के लिए परिवर्तित करना। बशर्ते कि ऐसा जहाज ऐसे रूपांतरण की तारीख से छह महीने के भीतर विदेश जाने वाले जहाज में फिर से परिवर्तित हो जाए।	-	शून्य	-”

		स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, (1) "विदेश जाने वाले जहाज" का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 के खंड (21) के तहत इसे दिया गया है। (ii) "तटीय जहाज में रूपांतरण" में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त जहाज शामिल होगा।			
--	--	--	--	--	--

2. अनुलग्नक में,-

(I) सूची 34क में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. फेडरल बैंक लिमिटेड
4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
7. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
8. इंडियन ओवरसीज बैंक
9. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
10. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. आरबीएल बैंक लिमिटेड
13. भारतीय स्टेट बैंक
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
15. येस बैंक लिमिटेड

(II) सूची 34ख में, मद संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

3. अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/ 195/ 2023-टीओ (टीआरयू-II)]

विक्रम बानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 54/2023- सीमाशुल्क, दिनांक 14 सितम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 668 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 60/2023-Customs

G.S.R. 758(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),

No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, after the entry 551 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"551 A.	8901	Foreign Going Vessel converted for a coastal run: Provided that such vessel re-converts to a foreign going vessel within six months from the date of such conversion. Explanation. - For the purpose of this entry, (i) "Foreign going vessel" shall have the same meaning as assigned to it under clause (21) of Section 2 of the Customs Act 1962. (ii) "Conversion to coastal Vessel" shall include the vessel granted necessary license under the Merchant Shipping Act, 1958	-	Nil	-";

2. in the Annexure, -

(I) in List 34A, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

1. Axis Bank Limited
2. Bank of India
3. Federal Bank Limited
4. HDFC Bank Limited
5. Industrial and Commercial Bank of China Limited
6. ICICI Bank Limited
7. IndusInd Bank Limited
8. Indian Overseas Bank
9. Kotak Mahindra Bank Limited
10. Karur Vysya Bank Limited
11. Punjab National Bank
12. RBL Bank Limited
13. State Bank of India
14. Union Bank of India
15. Yes Bank Limited"

(II) in List 34B, item number 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 54/2023-Customs, dated the 14th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 668(E), dated the 14th September, 2023.